न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **55/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्रीमती आशा कुंवर पत्नि बालूसिंह सोलंकी नि0 पलेवा मगरी वार्ड नं0 8 पो0 धोइन्दा राजनगर, जिला राजसमन्द **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल

—अपीलार्थी **—प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के विरूद्ध दिनांक 12.06.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 14/06/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/रीडर/2017/126 दिनांक 27.06.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष जरिये डाक आवेदन दिनांक 25.04.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी बीपीएल होने से सूचना निःशूल्क चाही गई। जिसमें चाही गई सूचना के लिए तहसीलदार करेड़ा एवं अपीलान्ट को उनके पत्रांक/रीडर/2017/112 दिनांक 02.05.2017

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के द्वारा जरिये डाक से सूचित किया कि वांछित सूचना तहसील क्षेत्र करेड़ा की होने से तहसीलदार करेड़ा से सम्पर्क कर वांछित नकलें प्राप्त करें। तहसीलदार करेड़ा के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई जिसकी प्राप्ति रसीद अपने पत्रांक/रीडर/2017/851 दिनांक 04.07.2017 से निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के पत्र द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सूचना तहसील करेड़ा की होने से तहसीलदार करेड़ा के पत्रांक 851 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 25.04.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट के पति बालूसिंह को निःशुल्क दिनांक 04.07.2017 को हमदस्त उपलब्ध कराई गई जिसकी पावती रसीद पत्र के साथ संलग्न है। यह सही है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई गई परन्तु निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा